कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,मैनपुरी
पत्रांक 1411 /14–1 दिनांकःमैनपुरीःदिसम्बर/5/12,2018

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक
पावर ग्रिड कार्पो0 आफ इण्डिया लि0
मैनपुरी

विषयः– 765 के0वी0 डबल सर्किट उरई–अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 1.23 हे0 सरंक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, फिरोजाबाद में 0.8072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, मैनपुरी 0.7884 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग कुल 2.8256 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति ।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पं0 8बी/यू0पी0/04/37/2018/एफ0सी0/514 दिनॉक 22–11–2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उ0प्र0,लखनऊ का पं0 1083/उरई–अलीगढ़ (2.8256 हे0)/26448/2017 दिनॉक 27–11–2018

कृपया उपरोक्त संन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) द्वारा विभिन्न शर्तो/प्रतिवन्धों के अधीन सैद्धातिक स्वीकृति जारी की गयी है जिसकी विन्दुवार अनुपालन आख्या आपसे अपेक्षित है। शर्त सं0 1,2,3 एवं 4 के अनुपालन में e-payment portal से ई– चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाने वाली धनराशि निम्न प्रकार होगी।

शर्त सं0–1 :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वनभूमि (0.7884 X 2 = 1.5768) अर्थात **1.5768** हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रू0 **871000.00 (आठ लाख इकहत्तर हजार मात्र)** कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करना होगा ।

शर्त सं0–2 :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाईन के नीचे प्रस्तावित वनभूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि **1153000.00 (ग्यारह लाख तिरेपन हजार मात्र)** कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करना होगा ।

शर्त सं0–3 (क) :– प्रयोक्ता अभिकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटरीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार प्रभावित वन भूमि (0.7884 हे0) का शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 **493538.00 (चार लाख तिरानवे हजार पॉच सौ अड़तीस मात्र)** जमा करना होगा ।

शर्त सं0– 4 :– प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के उल्लघंन के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पंत्र सं0 एफ0 न0 11–42/2017 एफ0सी0 दिनॉक 29–01–2018 में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप पैरा 3बी के विन्दु (i) व (ii) के निर्देशानुसार वसूली हेतु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 **110553.00 (रू0 एक लाख दस हजार पॉच सौ तिरेपन)** कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करना होगा ।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार सूचित धनराशि सन्दर्भित पत्र में दिये गये दिशा निर्देशानुसार कैम्पा निधि में ई–पोर्टल से ई–चालान के माध्यम से भुगतान कर अन्य समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या 5–5 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

(सिद्धार्थ अम्बेडकर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

(Office of Divisional Director, social Forestry division Sahavar road, Etah email-dfoetah@gmail.com Phone no-05742 233247)

पत्रांक 1224 /14–1 दिनांक, एटा,दिसम्बर, 17-12-2018

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक
पावर ग्रिड कार्पो0 आफ इण्डिया लि0
मैनपुरी

विषयः– 765 के0वी0 डबल सर्किट उरई–अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 1.23 हे0 सरंक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, फिरोजाबाद में 0.8072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, मैनपुरी 0.7884 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग कुल 2.8256 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति ।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पं0 8बी/यू0पी0/04/37/2018/एफ0सी0/514 दिनॉक 22–11–2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उ0प्र0,लखनऊ का पं0 1083/उरई–अलीगढ़ (2.8256 हे0)/26448/2017 दिनॉक 27–11–2018

कृपया उपरोक्त संन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) द्वारा विभिन्न शर्तो/प्रतिवन्धों के अधीन सैद्धातिक स्वीकृति जारी की गयी है **जिसमे एटा वन प्रभाग से सम्बंधित** विन्दुवार अनुपालन आख्या आपसे अपेक्षित है। शर्त सं0 1,2,3 एवं 4 के अनुपालन में e- portal के माध्यम से जनरेट ई– चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाने वाली धनराशि निम्न प्रकार होगी।

शर्त सं0–1 :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वनभूमि (1.23 X 2 = 2.46) अर्थात 2.46 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रू0 **1324000.00 (तेरह लाख चौबीस हज़ार मात्र)** कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करना होगा ।

शर्त सं0–2 :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाईन के नीचे प्रस्तावित वनभूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि **1031900.00 (रू० दस लाख इकतीस हज़ार नौ सौ मात्र)** कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करना होगा ।

शर्त सं0–3 (क) :– प्रयोक्ता अभिकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटरीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार प्रभावित वन भूमि (1.23 हे0) का शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 **769980.00 (रू० सात लाख उनहत्तर हज़ार नौ सौ अस्सी मात्र)** जमा करना होगा ।

शर्त सं0– 4 :– प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के उल्लघंन के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पंत्र सं0 एफ0 न0 11–42/2017 एफ0सी0 दिनॉक 29–01–2018 में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप पैरा 3बी के विन्दु (i) व (ii) के निर्देशानुसार वसूली हेतु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 **172476.00** (रू0 एक लाख बहत्तर हज़ार चार सौ छेहत्तर मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करना होगा ।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार सूचित धनराशि सन्दर्भित पत्र में दिये गये दिशा निर्देशानुसार कैम्पा निधि में ई–पोर्टल से ई–चालान के माध्यम से भुगतान कर अन्य समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या 5–5 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

17/12/2018

(सुरेश चन्द्र राजपूत)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांकः /14–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित-

1. मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ ।
2. वन सरक्षंक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(सुरेश चन्द्र राजपूत)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद

पत्रांक 1429 /14–1 दिनांकःफिरोजाबाद :दिसम्बर 22 ,2018

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक
पावर ग्रिड कार्पो0 आफ इण्डिया लि0
मैनपुरी

विषयः– 765 के0वी0 डबल सर्किट उरई–अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 1.23 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, फिरोजाबाद में 0.8072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, मैनपुरी 0.7884 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग कुल 2.8256 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति ।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/यू0पी0/04/37/2018/एफ0सी0/514 दिनॉक 22–11–2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पं0 1083/उरई–अलीगढ (2.8256 हे0)/26448/2017 दिनॉक 27–11–2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में 765 के0वी0 डबल सर्किट उरई–अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृत में दी गई शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रस्तुत करें :–

क्र0सं0	शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि (2.8256x2=5.6512 ha.) अर्थात 5.6512 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वनभूमि (0.8072 X 2 = 1. 6144) अर्थात **1.6144** हे0 पर (जसराना रैंज के अन्तर्गत झपारा लैण्ड बैंक भूमि) वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रू0 **888000.00 (आठ लाख अठासी हजार मात्र)** कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करना होगा ।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाइन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण के रापेण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाईन के नीचे प्रस्तावित वनभूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि **1153000. 00 (ग्यारह लाख तिरेपन हजार मात्र)** कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करना होगा ।
3(क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0– 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0– 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटरीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05–02–2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार प्रभावित वन भूमि (0.8072 हे0) का शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 505307.00 **(रू0 पांच लाख पांच हजार तीन सौ सात मात्र)** जमा करना होगा ।
3(ख)	इसके उपरान्त जमा की गई धनराशि की ऑनलाइन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं एन0पी0वी0 की जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन करना होगा।
3(ग)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4	प्रकरण मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 एफ नं0–11–42/2017, एफ.सी. दिनांक 21.01.2018 में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप वसूलनीय दण्डात्मक एन.पी.वी. की गणना करते हुए राशि वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा उल्लंघन के लिए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही पूरी की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन करना होगा।
5	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एव पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन करना होगा।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यायल को प्रेषित की जायेगी	प्रयोक्ता अभिकरण मक डिस्पोजल योजना इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत करानी होगी ।
7	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन करना होगा।
8	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उलंघन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
9	प्रकरण में आवश्यकतानुसार कार्यानुमति देने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र–11–306/2014–एफ0सी0(pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ के निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन करना होगा।

(उमा शंकर दोहरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद।